न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–30/2022

राज्य

बनाम्

संतोष यादव वगैरह

–: आदेश :–

05/11/2

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 796/एम0 दिनांक 02.08.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना सन्हा संख्या–17/2022 दिनांक–28.07.2022 से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार ने "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के आलोक में जप्त 1. ट्रैक्टर Mahindra 275 DI Eng. No.- RKE2EAN2258, Chassis No- MBNABAEXPKRE07934 2. ट्रैक्टर Mahindra 275 DI Eng. No.- RLE2DFN0184, Chassis No- MBNABADABLJE01131 3. Power Tractor (Blue Colour) Eng. No.- E3473887, Chassis No- T053421574KH 4. EICHER Tractor Eng. No.- S325L09755, Chassis No- 929713113415 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षीगण गरीब ग्रामीण और निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इन्हें झूठा फंसाया गया है। सभी ट्रैक्टर बालूमाथ पुलिस स्टेशन में खुले परिसर में है, इसलिए भारी बारिश और धूप के कारण फीका पड़ सकता है। विपक्षीगण उपरोक्त ट्रैक्टरों

यथा पंजियन संख्या–JH08H-8586, JH19C-8693, JH13F-9240 एवं JH13G-0163 के वास्तविक मालिक हैं और वे आदतन अपराधी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को मौके पर और घटना स्थल पर गिरफ्तार नहीं किया गया है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 28.07.2022 को स0अ0नि0 मोख्तार अंसारी, बमरवाडीह पिकेट (बालूमाथ थानान्तर्गत) द्वारा रात्रि गस्ती के क्रम में ग्राम गणेशपुर से बालूमाथ जाने वाली पक्की सड़क पर 1. ट्रैक्टर Mahindra 275 DI Eng. No.- RKE2EAN2258, Chassis No- MBNABAEXPKRE07934 2. ट्रैक्टर Mahindra 275 DI Eng. No.- RLE2DFN0184, Chassis No- MBNABADABLJE01131 3. Power Tractor (Blue Colour) Eng. No.- E3473887, Chassis No- T053421574KH एवं 4. EICHER Tractor Eng. No.- S325L09755, Chassis No- 929713113415 के ट्रेलर पर लदे अवैध बालू खनिज सहित परिवहन करते हुए पकड़ा गया। उक्त ट्रैक्टर के चालकों से लोड बालू से संबंधित कागजात की मांग करने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् अवैध बालू लदे ट्राली सहित ट्रैक्टरों को अमरवाडीह पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया है। "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) के तहत् राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन 1. ट्रैक्टर Mahindra 275 DI पंजियन संख्या–JH08H-8586, Eng. No.- RKE2EAN2258, Chassis No- MBNABAEXPKRE07934 2. ट्रैक्टर Mahindra 275 DI पंजियन संख्या–JH19C-8693, Eng. No.- RLE2DFN0184, Chassis No- MBNABADABLJE01131 3. Power Tractor (Blue Colour) पंजियन संख्या–JH13F-9240, Eng. No.- E3473887, Chassis No- T053421574KH एवं 4. EICHER Tractor पंजियन संख्या–JH13G-0163, Eng. No.- S325L09755, Chassis No- 929713113415 को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रति ट्रैक्टर एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र

तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का वदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं प्रति ट्रैक्टर एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

05/11/

उपायुक्त,
लातेहार।

05/11/

उपायुक्त,
लातेहार।

Seen
5.11.22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.02.01 15:54:03 +05:30
Location: 192.168.244.97